न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/51/2023	2023/306	04.04.2023	10.06.2024

1. कैलाश पुत्र लिछमन, जाति जाट, निवासी नारनौल खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर राज०

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 दिनांक 24.01.2023 प्रकरण संख्या 64/2022 जिसके द्वारा विधि विरूद्व व बेजा तरीक पर अपीलान्ट को अतिकमी मानकर बेदखल किऐ जाने व अर्थदण्ड से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश पारित किए गए।

उपस्थितः—

01. श्री अजीत कुमार यादव —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 24.01.2023 प्रकरण संख्या 64/2022 जिसके द्वारा विधि विरूद्व व बेजा तरीक पर अपीलान्ट को अतिकमी मानकर बेदखल किऐ जाने व अर्थदण्ड से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश पारित किए जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि पटवारी हल्का गोठडा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गैर सायल अपीलाण्टान के द्वारा वाके ग्राम नारनौल, खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 651 रकबा 0.6323 किस्म गैर मुमकिन नाला में से 0.07 रकबे पर सम्वत 2079 में रबी की फसल सरसो की फसल बोकर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहत अदालत मे प्रकरण संख्या 64/2022 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया। और उक्त प्रकरण का आलोच्य निर्णय दिनांक 24.01.2023 से निस्तारण किया जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी माना जाकर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि विरूद्व व बेजा तरीक पर पारित किए गए है। कि जिस निर्णय से असन्तुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

विवादित वाके ग्राम नारनौल खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर की आराजी खाके ग्राम नारनौल खुद 6323 किस्म गैर मुमकिन नाला में से 0.07 रकबे पर सम्वत 2079 रकबा रबी की फसल सरसो की फसल नहीं बोई गई है, बल्कि मौके पर कोई सरकारी नाला नहीं है। खसरा नम्बर 653 मुझे विरास्त में मिला है जिस पर जहा मेरे बाप दादा काबिज थे उसी हालत में मौके पर खेत जिसे मैं बो जोत रहा हूँ इससे मौके पर मैंने कोई नई तोड नहीं की है इस खेत खसरा नम्बर 653 के तरफ उत्तर को काफी ऊची व चौडी डोल ल है वो अगर सरकारी भूमि में हो तो प्रार्थी का उस से कोई लेना देना नहीं है, क्योकि वह डोल काफी पुरानी है। मौके पर ना तो कोई सिवायचक भूमि है ना चारागाह भूमि है ना कोई नाला है। पटवारी हल्का द्वारा यह नहीं बतलाया गया है जिस पटवारी हल्का से मौके की सही स्थिति बाबत न्यायहित में रिपोर्ट तलब की जावे। पहले भी नोटिस दिया गया जिसका पूर्व में विस्तृत जवाब दिया गया था। प्रार्थी के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट महज परेशान करने की नियत से की है. अगर कोई सरकारी भूमि भी है तो वह करीब 100 साल से आस पडोस के सभी खेतो में मिली हुई है जिससे 30 साल, से अधिक कब्जा होने के कारण बेदखली की मियाद भी निकल चुकी है। लेकिन प्रार्थी के नाम रेगुलाईज करने की रिफारिस की जावे और अपीलाण्ट का हिस्सा अलग है लेकिन वह नाला का भाग नही है। जिस बाबत अपीलाण्ट के द्वारा दुरूस्त व नक्शा दुरूस्त का दावा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय लक्ष्मणगढ का यहा प्रस्तुत किया हुआ है जिस पर अपीलाण्ट अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट कोई अतिक्रमण नही है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये, व बिना मौका निरीक्षण किये, अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत तथ्यो के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट अदालत में पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जॉच किए व बिना मौका निरीक्षण किये, जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है।

तहत अदालत द्वारा मिन अपीलाण्ट को मौके की स्थित एवं विधि विरूद्ध नोटिस जारी किया गया। मिन अपीलाण्ट ने किसी सरकारी भूमि गैर मुमकिन नाला पर नाजायज कब्जा अथवा अतिक्रमण नही किया है, बल्कि अपीलाण्टान के द्वारा अपने बुजुर्गों के समय से ही चली आ रही अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है जिस बाबत अपीलाण्ट के द्वारा तहत अदालत के समक्ष अपना विस्तृत जवाब भी दिनांक 20.12.2022 को अधिनस्थ अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जो जवाब तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न है लेकिन उसके बावजुद तहत अदालत के द्वारा जवाब को रिकॉर्ड पर नही लिया तथा ना ही अदालत ने कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया तथा ना ही तहत अदालत के द्वारा हल्का पटवारी के बयान दर्ज कर घटना की ताईद की और अपीलाण्टान की गैर मौजुदगी में अपीलाण्टान की जवाब प्रस्तुत करने के बावजुद अपीलाण्टान को बहस का अवसर नही दिया जाकर सीधा आदेश कर दिया और पटवारी हल्का की बिना पेमाईश खिलाफ मौका रिपोर्ट के आधार पर बिना हल्का पटवारी के बयान दर्ज कर घटना की ताईद कर बिना कोई मौका निरीक्षण किये आलौच्य निर्णय अपीलाण्टान की गैर मौजूदगी में अपीलाण्टान की जवाब प्रस्तुत करने के बावजुद अपीलाण्टान को बहस का अवसर नहीं दिया जाकर सीधा आदेश पारित किया है।

उक्त विवादित आराजी पर मिन अपीलाण्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया हुआ है, तथा तहत अदालत ने मिन अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस पर कोई गौर नहीं किया। और जवाब से संतुष्ट ने होने का कोई युक्तियुक्त कारण आलौच्य निर्णय में अंकित नहीं किया गया है। तथा अपीलाटान के द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बावजुद अपीलाण्टान की गैर मौजूदगी में अपीलाण्टान को बहस का अवसर नही दिया जाकर सीधा आदेश कर दिया गया तथा अपीलाण्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

को अपील ओर से गवाह पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा रेस्पोडेण्ट ने भी अपनी ओर से हल्का पटवारी के बयान दर्ज नही करवाये रेस्पोडेण्ट के द्वारा बयान दर्ज नही करने से घटना प्रमाणित नही हो सकती कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है। तथा अपीलाण्ट की बहस सुने बिना ही उक्त निणर्य पारित कर दिया। जब रेस्पोडेण्ट के द्वारा अधिनस्थ अदालत में अपना कोई बयान ही पेश नही किया गया है तो ऐसी स्थिति में न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तो के अनुसार रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रकरण को साबित ही नही किया गया जिससे रेस्पोडेण्टान के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्टान के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आदेश पारित ही नही किया जा सकता और रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना न्याय हित में आवश्यक था। मिन अपीलाण्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मिन अपीलाण्ट के विरूद्ध अपीलाण्टान की गैर मौजूदगी में निर्णय किया जाकर बेदखली की कार्यवाही अमल में लायी गई है, जबकि विधि शास्त्र का यह सिद्धान्त है, कि प्रभावित पक्षकारो को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए। जबकि इस प्रकरण में मिन अपीलाण्ट को नही सुना गया। ना साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा तहत अदालत के समक्ष बिना तथ्यो पर गौर किये, बिना रिकॉर्ड देखे, बिना पेमाईश किये, मौका रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गई है। जो केवल मात्र मिन अपीलाण्ट को हैरान, तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई है। जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का की मिथ्या एवं खिलाफ मौका गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये, मिन अपीलाण्ट के खिलाफ नोटिस जारी किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक एवं आधारहीन है।

मिन अपीलाण्ट बुजुर्गान के समय से आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मिन अपीलाण्ट का कब्जा जायज है, नाजायज कब्जा अथवा अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। तहसीलदार साहब ने ना तो मौके का निरीक्षण ही किया, और ना ही अपीलाण्ट का साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया, और बिना समुचित सुनवाई किए, अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है. निर्णय जेर बहस अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। मिन अपीलान्ट निर्णय के दिन तहत अदालत में उपस्थित नहीं था। निर्णय तहत अदालत विधि विरूद्व तथा तथ्यों के विपरीत एवं नियम व प्रकिया के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। हल्का पटवारी गोठडा के द्वारा तहत अदालत में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसमें अपीलांट की तामील उपरांत अपीलांट के द्वारा गलत नोटिस का विस्तृत जवाब भी पेश कर हत अदालत से निवेदन किया था उसके बावजुद तहत अदालत के द्वारा अपीलांट के प्रस्तुत जवाब पर गौर नहीं किया और अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर नही दिया गया, और बेजा तौर पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल कर अर्थदण्ड व सजा से दण्डित किया है तथा अपीलान्ट के द्वारा जवाब पेश करने के बावजूद आदेशिका दिनांक 20.12.2022 में अपीलान्ट के द्वारा जवाब पेश होना दर्ज नहीं किया जाकर पत्रावली बिना किसी साक्ष्य के सीधे रूप से आदेश हेतु दर्ज किया है, जो अविधिक है तथा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के द्वारा किसी प्रकार का बयान नही पेश करने के बावजूद मनमाने तरीके से दिनांक 24.01.2023 को उक्त अविधिक निर्णय पारित किया है तथा उक्त समस्त आदेशिका भी तहत अदालत के द्वारा मनमाने तरीके से निर्णय दिनांक को ही तैयार कर लिखी गई, जिससे तहत अदालत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत में अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0 का निर्णय दिनांक 24.01.2023 बसिलसिले प्रकरण संख्या 64/2022 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट की नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जावें।अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का गोठडा की रिपोर्ट दिनांक 21.11.2022 के अनुसार अपीलान्ट को विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन नाला में रबी की फसल गेंहु काश्त कर अतिक्रमी होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी/अपीलान्ट को विधिवत तामील हुआ नोटिस संलग्न है। न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ से चाही गई मौका रिपोर्ट दिनांक 01.06.2023 प्राप्त हुई जिसमें पटवारी हल्का गोठडा ने उक्त विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन नाला में अतिक्रमी/अपीलान्ट द्वारा सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ था जिसकी धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट कर नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कर फर्द नीलामी तहसील कार्यालय में पेश की जा चुकी है। मौका पर्चा फसल जब्ती दिनांक 09.01.2023 के अनुसार अतिक्रमी द्वारा बोई गई फसल को कब्जे राज लिया गया एवं मौके पर ऐलान किया गया कि बोई फसल को खुर्द–बुर्द न किया जाए। फर्द नीलामी रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 के अनुसार जब्त की गई फसल की नीलामी की जाकर नीलामी राशि प्राप्त की गई। विवादित भूमि किस्म गैर मुमकिन नाला है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 24.01.2023 पारित किया गया है। जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)